न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान *आर. ए. एस.*

प्रा0 पत्र | तारीख रजू | तारीख निर्णय
2/06 | 08.1.2019 | 26.03.2019

उनवान

1. जाकिर हुसैन पुत्र स्व0 हुरमत जाति मेव,
2. महती पुत्री स्व0 हुरमत पत्नी पानू खां जाति मेव निवासियान सरहेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर। ....प्रार्थीगण

बनाम

1. मक्को पुत्र कमलू पत्नी रहमान जाति मेव निवासी मांचडी तहसील मालखेडा जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार / उप पंजीयक तहसील रामगढ जिला अलवर। .... अप्रार्थीगण

(प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण
1. श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – प्रार्थीगण
2. श्री तैयब हुसैन एडवोकेट – अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि बन्दोबस्त सम्वत 2058 के हाल खसरा नम्बर 5 रकबा 3.67 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 4/126 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा का 14 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 41 रकबा 0.01 हैक्ट0, 42 रकबा 0.79, साबिक खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 63 रकबा 0.81 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 0. 82 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित है। विवादित आराजी के बन्दोबस्त सम्वत 2020 के हाल खसरा नम्बर 4/126 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 110 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 52 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 53 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 79 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 80 रकबा 1 बीघा

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

बिस्वा हाल खसरा नम्बर 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 81 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडी तहसील रामगढ जिला अलवर कमलू खां पुत्र निवाज खां का संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है। विवादित आराजी निवाज खां पुत्र जवाहर मेव की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र कमलू खां को विरासंत में प्राप्त हुई थी। कमलू खां ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की थी। प्रथम पत्नी दानवी तथा द्वितीय पत्नी रहीमी थी। जिन दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। कमलू के नफ्ते से दानवी ने हुरमत खां पुत्र को जन्म दिया था, कमलू खां के नुफ्ते से उसकी द्वितीय पत्नी रहीमी से पुत्र कमलू खां तथा पुत्री मक्को का जन्म हुआ है। कमलू खां के पुत्र जिसका जन्म दानवी से हुआ हुरमत खां का देहान्त हो चुका है। वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण मृतक हुरमत के जायज वारिसान है। कमलू खां की द्वितीय पत्नी रहीमी बडी चतुर एवं चालाक औरत थी जिसने आपने जीवनकाल में बन्दोबस्त सम्वत 2020 के हाल आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 4/126 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडी का दानपत्र दिनांक 18.07.1972 पंजीबद्ध दिनांक 28.07.1972 अपनी पुत्री प्रतिवादी सं0 1 के नाम करवा दिया तथा जिस दान पत्र का इन्तकाल सं0 36 दिनांक 02.08.1972 प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में मंजूर हुआ। कमलू खां दादा को मक्को के नाम पैतृक आराजी का दान पत्र करने का कोई हक व अधिकार कानूनन नही है। कमलू खां ने अपने पिता की पैतृक आराजी ख0 नं0 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडी का 1/2 भाग रामजीलाल पुत्र रामपाल ब्राहम्ण का विक्रय पत्र दिनांक 24.06.1971 पंजीबद्ध दिनांक 28.06.1971 से प्रतिवादी सं0 1 के नाम कमलू खां ने कराया है जिसका इन्तकाल सं0 32 तथा आराजी खसरा नम्बर 60, 61 का 1/2 भाग तथा ख0 नं0 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा सालिम ग्राम बाघोडी का विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1971 पंजीबद्ध दिनांक 17.06.1971 प्रतिवादी सं0 1 के नाम कमलू खां ने कराया है। जिसका इन्तकाल सं0 31 दर्ज कर स्वीकार हुआ है। कमलू खां ने रामजीलाल व नन्दकिशोर को विक्रय पत्र की राशि अदा नही की क्योकि उपरोक्त आराजी निवाज खां पुत्र जवाहर के कब्जे काश्त की आराजी थी जो आधा बटाई पर निवाज खां ने रामजीलाल व नन्दकिशोर को बताई हुई थी। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जिन्होने उक्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करा लिया। संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति थी। कमरू खां ने अन्य अपने वारिसान के हिस्से को मारने की गरज से उपरोक्त आराजी का विक्रय पत्र अपनी दूसरी पत्नी रहीमी के दबाव में आकर कराई है जिसका कानूनन कमलू को कोई हक और अधिकार नही था। विवादित आराजी पर वादी एवं

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

तरतीबी प्रतिवादीगण का हमेशा कब्जा रहा है, और आज भी है। प्रतिवादी सं0 1 ग्राम सरहेटा में नही रहती, वह मांचडी तहसील मालाखेडा में अपने पति रहमान के साथ रहती है। अपने पति रहमान के दबाव में आकर प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी को विक्रय, रहन एवं हिबा आदि के जर्ये दीगर व्यक्तियों को मुन्तकिल करने की फिराक में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर खिलाफ प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण को दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वो बन्दोबस्त सम्वत 2058 के हाल खसरा नम्बर 5 रकबा 3.67 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 4/126 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा का 14 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 41 रकबा 0.01 हैक्ट0, 42 रकबा 0.79, साबिक खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 63 रकबा 0.81 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 0.82 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडी तहसील रामगढ जिला अलवर को रहन, बैय, हिब्बा आदि के जर्ये किसी दीगर व्यक्ति एवं वित्तीय संस्था को हस्तान्तरित नही करे और वादीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण उपरोक्त आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा नही करे और कार्य काश्तकारी में उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 3.67 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 4/126 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा का 14 बीघा 10 बिस्वा तथा हाल ख0 नं0 41 रकबा 0.01, 42 रकबा 0.79 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, हाल ख0 नं0 63 रकबा 0.81 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार काश्तकार कमलू पुत्र निवाज खां जाति मेव निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ था, जो मिन प्रतिवादनी सं0 1 के पिता थे, ने अपने जीवनकाल में मिन प्रतिवादनी सं0 1 के हक में एक हिब्बानामा दिनांक 18.07.1972 पंजीबद्ध दिनांक 28.07.1972 को को अपने लाड दुलार व स्नेह वश मिन प्रतिवादनी सं0 1 के हक में मेरी शादी के पश्चात में पंजीबद्ध कराया था, तथा जिस हिबानामा के आधार पर मिन प्रतिवादनी सं0 1 के हक में ग्राम पंचायत खोह तहसील रामगढ के द्वारा इन्तकाल सं0 36 दिनांक 02.08.1972 को स्वीकृत किया गया। तथा जिसके

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पश्चात मिन वादनी सं0 1 के हक में जमाबन्दी सम्वत 2030–33 में राजस्व इन्द्राज कर
किया गया तथा उक्त खसरा नम्बर की मिन प्रतिवादनी सं0 1 रिर्कोडेड काबिज खातेदार है तथा
मिन आराजी पर मिन प्रतिवादनी सं0 1 का आज तक बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है तथा मिन
प्रतिवादनी सं0 1 ही उक्त आराजी पर काश्त करती चली आ रही है तथा मिन प्रतिवादनी सं0 1
ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न बैंको से उपरोक्त आराजी पर कृषि कार्य हेतु ऋण लिया
हुआ है। ख0 नं0 41 रकबा 0.01 हैक्ट0 में पहले कुऑ बना हुआ था, जिससे मिन प्रतिवादनी
अपनी आराजीयात की आबपाशी किया करती थी तथा वर्तमान में उक्त कुऍ में बोरवैल कराकर
अपनी आराजी की आबपाशी करती चली आ रही है। तथा जिस बोरवैल पर सन 1981–82 के
करीब से ही बिजली का कनेक्शन मिन प्रतिवादनी सं0 1 के नाम से लगा हुआ है तथा बोरवैल
के पास ही मिन प्रतिवादनी के दो पक्के कमरे व एक टीन का कमरा लगभग वर्ष 1986–87 से
बने हुए है, तथा जिन कमरों में मिन प्रतिवादनी सं0 1 अपनी रिहायशी रखती है तथा
समय–समय पर अपने पति के साथ अपने सुसराल ग्राम मांचडी भी आती जाती रहती है। उक्त
आराजी के सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा जो तथ्य अपने वादपत्र में अंकित किये गये है वो समस्त
तथ्य गलत है तथा उक्त आराजी से वादीगण या तरतीबी प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का
सम्बन्ध व सरोकार नही है, नाही उनका कोई कब्जा है। हाल ख0 नं0 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 का
साबिक ख0 नं0 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व 79 रकबा 0.82 हैक्ट0 जिसके साबिक ख0 नं0
61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ख0 नं0 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है, में से साबिक ख0 नं0 60
व 61 का 1/2 भाग व ख0 नं0 73 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 भाग के खातेदार
काश्तकार रामजीलाल पुत्र रामपाल ब्राहम्ण सा0 रामगढ़ थे, जिनसे मिन प्रतिवादनी सं0 1 ने जर्ये
रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.06.1971 को खरीद किया। तथा उक्त आराजी मिन प्रतिवादनी सं0
1 ने उक्त खातेदार से 6 हजार रूपये में खरीदी थी तथा बाद खरीद प्रतिवादनी सं0 1 के नाम
से इन्तकाल सं0 32 भी स्वीकार हो चुका है तथा बाद खरीद से मिन प्रतिवादनी सं0 1 उक्त
आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है तथा लगातार निरन्तर आज तक
भी उक्त आराजी पर काश्त कर रही है। वादीगण का किसी प्रकार का उक्त आराजी से सम्बन्ध
व सरोकार नही है। हाल आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 60
रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व ख0 नं0 79 रकबा 0.82 हैक्ट0 जिसके साबिक ख0 नं0 61 रकबा 1
बीघा 15 बिस्वा ख0 नं0 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है व साबिक ख0 नं0 73 रकबा 3 बीघा
14 बिस्वा कुल किता 4 का 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार नन्दकिशोर पुत्र श्री ठण्डीराम

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

जाति ब्राह्मण सा0 रामगढ था, जिससे मिन प्रतिवादनी सं0 1 ने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा वसीका दिनांक 12.06.71 तस्दीक दिनांक 17.06.1971 को पंजीबद्ध कराया था तथा उक्त आराजी मिन प्रतिवादनी सं0 1 ने उक्त खातेदार से 9 हजार रूपये में खरीदी थी। तथा बाद खरीद मिन प्रतिवादनी सं0 1 के नामसे इन्तकाल सं0 31 भी स्वीकार हो चुका है तथा बाद खरीद से मिन प्रतिवादनी सं0 1 उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है। तथा लगातार निरन्तर आज तक भी काश्त कर रही है। किसी अन्य का विवादित आराजी से कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी मिन प्रतिवादनी सं0 1 व उसके भाई मकूल खां से रंजिश रखते है तथा मानसिक आर्थिक एवं शारीरिक वेदना देने की नियत से झूठे मुकदमें करते रहते है। तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादनी सं0 1 व उसके भाग मकूल के विरूद्ध व वर्तमान वादीगण के खिलाफ एक मुकदमा पूर्व में भी उपखण्ड न्यायालय में दिनांक 11.10.2017 को पेश किया था जिसमें भी उक्त आराजी ही विवादित थी तथा जिसके सम्बन्ध में गलत तथ्य बयान करते हुए वादपत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 02 जा0दी0 व 212 आरटीए पेश किया जो न्यायालय श्रीमान के द्वारा 19.06.2018 को खारिज किया जा चुका है। तथा जिसकी अपील तरतीबी प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां की हुई है तथा उक्त वाद आज भी श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण ने पूर्व में मिल्लत करते हुए जो वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया हुआ है के लम्बित रहने के दौरान वर्तमान वाद उसी आराजी को विवादित बताते हुए पुनः पेश किया है इस प्रकार वर्तमान वाद धारा 11 जा0 दी0 के नियमों के अन्तर्गत आने के कारण उक्त वाद की कार्यवाही पूर्व वाद के निस्तारण तक रोकी (स्टे) किये जाने योग्य है। वर्तमान वाद पत्र वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के द्वारा किसी न किसी रूप में मिन प्रतिवादनी सं0 1 की बेसकीमती आराजी को न्यायालय के समक्ष विवादित बताकर हडप करना चाहते है जिस कारण कई मुकदमे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने मिन प्रतिवादनी सं0 1 के विरूद्ध किये हुए है। जिससे ना केवल मिन प्रतिवादनी सं0 1 का अमूल्य समय ही बर्बाद होता है बल्कि मिन प्रतिवदनी को आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान भी होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी के बन्दोबस्त सम्वत 2020 के हाल खसरा नम्बर 4/126 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 110

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 52 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 53 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 79 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 80 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 81 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडी तहसील रामगढ जिला अलवर कमलू खां पुत्र निवाज खां के संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है। विवादित आराजी निवाज खां पुत्र जवाहर मेव नाई की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र कमलू खां को विरासत में प्राप्त हुई थी। कमलू खां ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की थी। प्रथम पत्नी दानवी तथा द्वितीय पत्नी रहीमी थी। जिन दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। कमलू के नफ्ते से दानवी ने हुरमत खां पुत्र को जन्म दिया था, कमलू खां के नुफ्ते से उसकी द्वितीय पत्नी रहीमी से पुत्र कमलू खां तथा पुत्री मक्को का जन्म हुआ है। कमलू खां के पुत्र जिसका जन्म दानवी से हुआ हुरमत खां का देहान्त हो चुका है। कमलू खां की द्वितीय पत्नी रहीमी बडी चतुर एवं चालाक औरत थी जिसने अपने जीवनकाल में बन्दोबस्त सम्वत 2020 के हाल आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 4/126 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडी का दानपत्र दिनांक 18.07.1972 पंजीबद्ध दिनांक 28.07.1972 अपनी पुत्री प्रतिवादी सं0 1 के नाम करवा दिया तथा जिस दान पत्र का इन्तकाल सं0 36 दिनांक 02.08.1972 प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में मंजूर हुआ। कमलू खां ने अपने पिता की पैतृक आराजी ख0 नं0 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडी का 1/2 भाग रामजीलाल पुत्र रामपाल ब्राहम्ण का विक्रय पत्र दिनांक 24.06.1971 पंजीबद्ध दिनांक 28.06.1971 से प्रतिवादी सं0 1 के नाम कमलू खां ने कराया है जिसका इन्तकाल सं0 32 तथा आराजी खसरा नम्बर 60, 61 का 1/2 भाग तथा ख0 नं0 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा सालिम ग्राम बाघोडी का विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1971 पंजीबद्ध दिनांक 17.06.1971 प्रतिवादी सं0 1 के नाम कमलू खां ने कराया है। जिसका इन्तकाल सं0 31 दर्ज कर स्वीकार हुआ है। संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति थी। कमरू खां ने अन्य अपने वारिसान के हिस्से को मारने की गरज से उपरोक्त आराजी का विक्रय पत्र अपनी दूसरी पत्नी रहीमी के दबाव में आकर कराई है जिसका कानूनन कमलू को कोई हक और अधिकार नही था। विवादित आराजी पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का हमेशा कब्जा रहा है, और आज भी है। प्रतिवादी सं0 1 ग्राम बाघोडी व सरहेटा

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

में नही रहती, वह मांचडी तहसील मालाखेडा में अपने पति रहमान के साथ रहती है। अपने
पति रहमान के दबाव में आकर प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी को विक्रय, रहन एवं हिबा
आदि के जर्ये दीगर व्यक्तियों को मुन्तकिल करने की फिराक में है। ताफैसला दावा अप्रार्थीगण
को पाबन्द फरमाया जावें। बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान वकील द्वारा आरआरडी 1995 पेज
304 पैरा 4 व 6, आरआरटी 2018 (2) पेज 859, आरआरटी 2018 (2) पेज 863, आरआरटी
2018 (1) पेज 156, आरआरडी 2008 पेज 478, आरआरडी 2006 पेज 284 नजीरे पेश की गई।
अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया
कि हाल आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 3.67 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 4/126 रकबा 34
बीघा 17 बिस्वा का 14 बीघा 10 बिस्वा तथा हाल ख0 नं0 41 रकबा 0.01, 42 रकबा 0.79
हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, हाल ख0 नं0 63 रकबा 0.81 हैक्ट0 का
साबिक ख0 नं0 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार काश्तकार कमलू पुत्र निवाज खां जाति
मेव निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ था, जो मिन प्रतिवादनी सं0 1 के पिता थे, ने अपने
जीवनकाल में प्रतिवादनी सं0 1 के हक में एक हिब्बानामा दिनांक 18.07.1972 पंजीबद्ध दिनांक
28.07.1972 को प्रतिवादनी सं0 1 के हक में मेरी शादी के पश्चात में पंजीबद्ध कराया था, तथा
जिस हिबानामा के आधार पर प्रतिवादनी सं0 1 के हक में ग्राम पंचायत खोह तहसील रामगढ के
द्वारा इन्तकाल सं0 36 दिनांक 02.08.1972 को स्वीकृत किया गया। तथा जिसके पश्चात
प्रतिवादनी सं0 1 के हक में जमाबन्दी सम्वत 2030-33 में राजस्व इन्द्राज कर लिया गया तथा
उक्त खसरा नम्बर की प्रतिवादनी सं0 1 रिर्कोडेड काबिज खातेदार है तथा जिस आराजी पर
प्रतिवादनी सं0 1 का आज तक बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादनी सं0 1 ही उक्त
आराजी पर काश्त करती चली आ रही है तथा प्रतिवादनी सं0 1 ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न
भिन्न बैंको से उपरोक्त आराजी पर कृषि कार्य हेतु ऋण लिया हुआ है। ख0 नं0 41 रकबा 0.01
हैक्ट0 में पहले कुऑ बना हुआ था, जिससे प्रतिवादनी अपनी आराजीयात की आबपाशी किया
करती थी तथा वर्तमान में उक्त कुएँ में बोरवैल कराकर अपनी आराजी की आबपाशी करती चली
आ रही है। तथा जिस बोरवैल पर सन 1981-82 के करीब से ही बिजली का कनेक्शन
प्रतिवादनी सं0 1 के नाम से लगा हुआ है तथा बोरवैल के पास ही प्रतिवादनी के दो पक्के कमरे
व एक टीन का कमरा लगभग वर्ष 1986-87 से बने हुए है, तथा जिन कमरों में प्रतिवादनी सं0
1 अपनी रिहायशी रखती है तथा समय-समय पर अपने पति के साथ अपने सुसराल ग्राम
मांचडी भी आती जाती रहती है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा जो तथ्य अपने

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

बिस्वा, हाल ख.न. 79 रकबा 0.82 हेक्टर

वादपत्र में अंकित किये गये है वो समस्त तथ्य गलत है तथा उक्त आराजी से वादीगण या तरतीबी प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही है, ना ही उनका कोई कब्जा है। हाल ख0 नं0 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व 79 रकबा 0.82 हैक्ट0 जिसके साबिक ख0 नं0 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ख0 नं0 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है, में से साबिक ख0 नं0 60 व 61 का 1/2 भाग व ख0 नं0 73 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार रामजीलाल पुत्र रामपाल ब्राहम्ण सा0 रामगढ़ थे, जिनसे प्रतिवादनी सं0 1 ने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.06.1971 को खरीद किया। तथा उक्त आराजी प्रतिवादनी सं0 1 ने उक्त खातेदार से 6 हजार रूपये में खरीदी थी तथा बाद खरीद प्रतिवादनी सं0 1 के नाम से इन्तकाल सं0 32 भी स्वीकार हो चुका है तथा बाद खरीद से प्रतिवादनी सं0 1 उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है तथा लगातार निरन्तर आज तक भी उक्त आराजी पर काश्त कर रही है। वादीगण का किसी प्रकार का उक्त आराजी से सम्बन्ध व सरोकार नही है। हाल आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व ख0 नं0 79 रकबा 0.82 हैक्ट0 जिसके साबिक ख0 नं0 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ख0 नं0 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है व साबिक ख0 नं0 73 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 4 का 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार नन्दकिशोर पुत्र श्री ठण्डीराम जाति ब्राहम्ण सा0 रामगढ था, जिससे प्रतिवादनी सं0 1 ने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा तहरीरी दिनांक 12.06.71 तस्दीक दिनांक 17.06.1971 को पंजीबद्ध कराया था तथा उक्त आराजी प्रतिवादनी सं0 1 ने उक्त खातेदार से 9 हजार रूपये में खरीदी थी। तथा बाद खरीद प्रतिवादनी सं0 1 के नाम से इन्तकाल सं0 31 भी स्वीकार हो चुका है तथा बाद खरीद से मिन प्रतिवादनी सं0 1 उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है। तथा लगातार निरन्तर आज तक भी काश्त कर रही है। किसी अन्य का विवादित आराजी से कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी प्रतिवादनी सं0 1 व उसके भाई मकूल खां से रंजिश रखते है तथा मानसिक आर्थिक एवं शारीरिक वेदना देने की नियत से झूठे मुकदमें करते रहते है। तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादनी सं0 1 व उसके भाग मकूल के विरूद्ध व वर्तमान वादीगण के खिलाफ एक मुकदमा पूर्व में भी उपखण्ड न्यायालय में दिनांक 11.10.2017 को पेश किया था जिसमें भी उक्त आराजी ही विवादित थी तथा जिसके सम्बन्ध में गलत तथ्य बयान करते हुए वादपत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 02 जा0दी0 व 212 आरटीए पेश किया जो न्यायालय श्रीमान के द्वारा 19.

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

बीघा 10 बिस्वा, हाल ख.न. 79 रकबा 0.82 हेक्टर

2018 को खारिज किया जा चुका है। तथा जिसकी अपील तरतीबी प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां की हुई है तथा उक्त वाद आज भी श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण ने पूर्व में मिल्लत करते हुए जो वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया हुआ है के लम्बित रहने के दौरान वर्तमान वाद उसी आराजी को विवादित बताते हुए पुनः पेश किया है इस प्रकार वर्तमान वाद धारा 11 जा0 दी0 के नियमों के अन्तर्गत आने के कारण उक्त वाद की कार्यवाही पूर्व वाद के निस्तारण तक रोकी (स्टे) किये जाने योग्य है। वर्तमान वाद पत्र वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के द्वारा किसी न किसी रूप में प्रतिवादनी सं0 1 की बेसकीमती आराजी को न्यायालय के समक्ष विवादित बताकर हडप करना चाहते है जिस कारण कई मुकदमे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादनी सं0 1 के विरूद्ध किये हुए है। जिससे ना केवल प्रतिवादनी सं0 1 का अमूल्य समय ही बर्बाद होता है बल्कि प्रतिवदनी को आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान भी होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने बहस के दौरान कटाक्ष में निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 11.06.2018 रवि माहेश्वरी बनाम परमेश्वरी देवी आरबीजे 2018 पेज 499, आरबीजे 2018 पेज नं0 503 भागीरथ बनाम रामचन्द्र राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 19.06.2018 की नजीरे पेश की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो एवं उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया। विवादित आराजी पर कौन कैसे आया इस बिन्दु को मैरिट में मूलवाद के साथ तय किया जावेगा। वर्तमान में विवादित भूमि पर कब्जे को देखना है। हाल आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 3.67 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 4/126 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा का 14 बीघा 10 बिस्वा तथा हाल ख0 नं0 41 रकबा 0.01, 42 रकबा 0.79 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, हाल ख0 नं0 63 रकबा 0.81 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार काश्तकार कमलू पुत्र निवाज खां जाति मेव निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ था, जो प्रतिवादनी सं0 1 के पिता थे, ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादनी सं0 1 के हक में एक हिब्बानामा दिनांक 18.07.1972 पंजीबद्ध दिनांक 28.07.1972 को प्रतिवादनी सं0 1 के हक में उसकी शादी के पश्चात में पंजीबद्ध कराया था, तथा जिस हिबानामा के आधार पर प्रतिवादनी सं0 1 के हक में ग्राम पंचायत खोह तहसील रामगढ के द्वारा इन्तकाल सं0 36 दिनांक 02.08.1972 को स्वीकृत किया गया। तथा जिसके पश्चात प्रतिवादनी सं0 1 के हक में जमाबन्दी सम्वत 2030–33 में राजस्व इन्द्राज कर लिया

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

ख.न. 80 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, हाल ख.न. 79 रकबा 0.82 हैक्टर

गया तथा उक्त खसरा नम्बर की प्रतिवादनी सं0 1 रिर्कोडेड काबिज खातेदार है तथा जिस आराजी पर प्रतिवादनी सं0 1 का आज तक बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार हाल ख0 नं0 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व 79 रकबा 0.82 हैक्ट0 जिसके साबिक ख0 नं0 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ख0 नं0 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है, में से साबिक ख0 नं0 60 व 61 का 1/2 भाग व ख0 नं0 73 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार रामजीलाल पुत्र रामपाल ब्राहम्ण सा0 रामगढ़ थे, जिनसे प्रतिवादनी सं0 1 ने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.06.1971 को खरीद किया। तथा उक्त आराजी प्रतिवादनी सं0 1 ने उक्त खातेदार से 6 हजार रूपये में खरीदी थी तथा बाद खरीद प्रतिवादनी सं0 1 के नाम से इन्तकाल सं0 32 भी स्वीकार हो चुका है तथा बाद खरीद से प्रतिवादनी सं0 1 उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है तथा लगातार निरन्तर आज तक भी उक्त आराजी पर काश्त कर रही है। वादीगण का किसी प्रकार का उक्त आराजी से सम्बन्ध व सरोकार नही है। हाल आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 का साबिक ख0 नं0 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व ख0 नं0 79 रकबा 0.82 हैक्ट0 जिसके साबिक ख0 नं0 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ख0 नं0 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है व साबिक ख0 नं0 73 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 4 का 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार नन्दकिशोर पुत्र श्री ठण्डीराम जाति ब्राहम्ण सा0 रामगढ था, जिससे प्रतिवादनी सं0 1 ने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा तहरीरी दिनांक 12.06.71 तस्दीक दिनांक 17.06.1971 को पंजीबद्ध कराया था तथा उक्त आराजी प्रतिवादनी सं0 1 ने उक्त खातेदार से 9 हजार रूपये में खरीदी थी। तथा बाद खरीद प्रतिवादनी सं0 1 के नाम से इन्तकाल सं0 31 भी स्वीकार हो चुका है तथा बाद खरीद से मिन प्रतिवादनी सं0 1 उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है। तथा लगातार निरन्तर आज तक भी काश्त कर रही है। विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 20 के कॉलम सं0 4 में काश्तकार के खाने में मक्को पुत्री कमलू मेव सा0 देह खातेदार राहिन एबीएजीबी शाखा अलवर मु.वि.क. दर्ज रिकार्ड है। तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं0 20 की आराजी से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। क्योकि खाता सं0 20 शामलाती खाता नही है। खाता सं0 20 में दर्ज आराजी अप्रार्थीनी की आराजी है जिसकी मालिक तन्हा अप्रार्थीनी है जो काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। आज भी मौके पर अप्रार्थीनी का कब्जा है वादीगण महज तंग व परेशान करने की

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

दिया से वाद पेश किया है खाता सं0 20 में दर्ज आराजी खसरा नम्बरान 5, 41, 42, 63, 78, अप्रार्थीनी की तन्हा खातेदारी की जिस पर अप्रार्थीनी का अधिकार है। प्रार्थीगण गैर काबिज होने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्राईमा फेसाई केस व बेलेन्स ऑफ कन्सीनेंस नही है ना ही प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। इसलिए मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता नं0 20 पर कब्जा तथा खरीदशुदा भूमि अप्रार्थीनी की होने से अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों शर्ते प्रथम दृष्टया केस, सता का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीनी के पक्ष में साबित होती है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 20 के विवादित आराजी पर कब्जा तथा खरीदशुदा भूमि अप्रार्थीनी की होने से अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों शर्ते प्रथम दृष्टया केस, सता का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीनी के पक्ष में साबित होती है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/03

(महेश चन्द्र मान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़(अलवर)

उप खण्ड ... रामगढ़

... ख.नं. 78 रक...

... साबिक ख.नं. 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, हाल ख.नं. 79 रकबा 0.82 है...